Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential : (1) Industrial Training Institute Certificate in Carpentry. (2) Experience in the line in Central Government or any State Government. Establishment with valid experience or discharge certificate. **Desirable :** Matriculation or its equivalent. **Note :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Casts or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	No	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Not applicable”

[F. No. 35-7/2009-Admn. III (P)]

ANITA TIPRA, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, वेधक-सह-मैकेनिक भर्ती नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, वेधक-सह-मैकेनिक भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, वेधक-सह-मैकेनिक भर्ती नियम, 2004 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. वेद्यक-सह मैकेनिक	184* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग') अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है ।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पणी 2 :** रोजगार कार्यालय से अभ्यर्थियों की दशा में, आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(i) (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास (ख) जलकूप वेधन रिगों के प्रचालन और अनुरक्षण में आठ वर्ष का अनुभव; या (ii) (क) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से यांत्रिक या वेधन या खनन या पेट्रोलियम इंजीनियरी में डिप्लोमा । (ख) जलकूप वेधन रिगों के प्रचालन और अनुरक्षण में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** ऐसा सहायक वेधक-सह-मैकेनिक (वेतन बैंड 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.) जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष निरंतर सेवा की है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. निदेशक (प्रशासन) —अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।"

[फा. सं. 23/38/2009-के.भू.ज. बो.]

एम. एन. सुकुमारन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 162 तारीख 23 अप्रैल, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 80 तारीख 31 मार्च, 2006 द्वारा संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 12th February, 2010

G.S.R. 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board, Driller-cum-Mechanic Recruitment Rules, 2004 namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Driller-cum-Mechanic Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board, Driller-cum-Mechanic Recruitment Rules, 2004, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification	Pay Band, and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Driller-cum-Mechanic	184* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs.5,200—20,200 + Grade Pay Rs. 2800	Selection	No	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1—**The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

		(7)
		Note 2—The crucial date for determining the age limit in case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)	(10)
(i) (a) Matriculate from recognized Board; (b) Eight years experience in the operation and maintenance of water well drilling rigs; or (ii) (a) Diploma in Mechanical or Drilling or Mining or Petroleum Engineering from a recognised institute; (b) Three years experience in the operation and maintenance of water wells drilling rigs. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in case the candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	No	Two years for direct recruits

Method of recruitment : Whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made
(11)	(12)
Promotion failing which direct recruitment	**Promotion :** Assistant Driller-cum-Mechanic (Pay band 1, Rs. 5200-20200 with Grade pay of Rs. 2400) with five years continuous service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion and confirmation, consisting of :— 1. Director (Administration) —Chairman 2. Superintending Engineer —Member 3. A Group 'A' officer of another Central Government Department —Member	Not applicable".

[F. No. 23/38/2009-CGWB]

M. N. SUKUMARAN, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 162 dated the 23rd April, 2004 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 80 dated the 31st March, 2006.

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2010

सा.का.नि. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, अवर श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, अवर श्रेणी लिपिक भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, अवर श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2008 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :–

"अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अवर श्रेणी लिपिक	141* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	चयन	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है ।)